

प्रेषक,

परवेज़ अख्तर,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
न्यायालय सं०-28, आगरा।

सेवा में,

श्रीमान् महा निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय:- पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9792/ VIIb -104 / Admin D Section
Dated 19.07.2024 के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि शासनादेश सं० 14/2024/सा-
3-243/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश संख्या-20/2024/ सा-
3-276/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अद्योहस्ताक्षरी निर्धारित
प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि उचित कार्यवाही हेतु
अद्योहस्ताक्षरी का पुरानी पेंशन हेतु दिया गया उपरोक्त विकल्प प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 24.07.2024

भवदीय,

(परवेज़ अख्तर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
न्यायालय सं०-28, आगरा।

J.O. UP 6310

संलग्नक:-

शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024
दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं० 20/2024/सा-3-276/
दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11, जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

पत्रांक सं. 3827/1
दिनांक 24.7.24
अग्रसारित

जिमा जज, आगरा
24.7.24

संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम : परवेज़ अख्तर,
2. वर्तमान पद नाम : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा।
3. वेतनमान : J5-144840-194860
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम : लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद।
6. विज्ञापित की तिथि : दिनांक-15 नवम्बर, 2003, (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 28 मई, 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-2430/दो-4-08-32(1)/2001-टी0सी0-1)
8. योगदान की तिथि : 19.06.2006
9. जन्मतिथि : 05.05.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31.05.2037

मैं परवेज़ अख्तर, पुत्र श्री ताहिर हसन, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना(√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

नाम : परवेज़ अख्तर,

पद नाम : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

घोषणा पत्र

मैं परवेज़ अख्तर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :

नाम : परवेज़ अख्तर,

पद नाम : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री परवेज़ अख्तर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (√)/नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की सुंस्तुति